गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) से (ग). राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 21 सितम्बर, 1968 को शहदोल से लगभग 70 किलो मीटर दूर एक गांव में दो लकड़ी काटने वालों ने, एक घने जंगल में, एक पेड़ पर लटकता हुआ पैराशूट की तरह एक कपड़ा तथा निकट के एक अन्य पेड़ पर लटकता हुआ एक सन्दूक भी पाया। उन्होंने उन वस्तुओं को नीचे उतारा और देखा कि सन्दूक में से टिक-टिक की आवाज आ रही है। 29 सितम्बर, 1968 को वस्तुयें कब्जे में कर ली गई और जोतपुर थाने पर लाई गई शहदोल थाने पर उनका परीक्षण किया गया। सन्दूक में एक उपस्कर और दो एवरेडी बैट्रियां थी जिस पर मेड इन यू० एस० ए० के चिन्ह अंकित थे। दो अन्य छोटे टिन सम्भवत: जिनमें तेल था, तथा एक हुक और तार के साथ एक फोल्डिंग उपकरण जो एरियल जैसा दिखाई देता था, भी बरामद किये गये। सन्दूक में चीनी भाषा में कुछ पुस्तकाएं और एक रंगीन चित्र था जो एक कार्टून की भांति दिखाई देता था। वस्तुओं का पुलिस (रेडियो) के उप-अधीक्षक द्वारा परीक्षण किया गया जिसकी राय में प्राप्त उपस्कर न तो रेडियो ट्रांसमिटर था और न एक रिसीवर। आगे जांच प्रगति पर है।

Illegal Entry of Foreigners

***898. SHRI BABURAO PATEL :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two foreigners Mr. Hans Gunter Josef and Mr. Franz Kaplan entered Assam from Pakistan without any travel documents for the purpose of spying for Pakistan and were arrested at Lakshmi Bazaar by the Border Security Force;

(b) the nature of documents and photographic equipment found with them;

(c) the nationality of these foreigners and the purpose of their illegal visit to our country; and

(d) the explanation given by the foreign embassy concerned for the activities of these foreigners ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) The two foreigners were arrested at Lakhi Bazaar for not being in possession of restricted area permits. They had passports and valid tourist visas issued by the Deputy High Commissioner of India in Dacca. On the present occasion they had entered India from Ceylon and had come to Assam from Calcutta. Government have no material to show that they had entered Assam for the purpose of spying for Pakistan.

(b) Besides their passports and a travellers cheque book, they were in possession of maps of Assam and NEFA. No photographic equipment was found on them.

(c) and (d). Mr. Josef is a German national. Mr. Kaplan had an Austrian passport. However, the Austrain Embassy have informed Government that Mr. Kaplan is not an Austrian citizen and that the passport issued to him has been cancelled subsequently by the Austrian Government. Considering the nature of their visas, which were valid, the purpose of their visit to this country was tourism. No reference to the Embassies was necessary on their activities.

डिग्री कालेज बहरामपुर (पटना) के मन्त्री के विरुद्ध आरोप

***899. श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिग्री कालेज बहरामपुर (पटना) के मन्त्री के विरुद्ध कालेज के धन से हजारों रुपये का गोलमाल करने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पटना के जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 1173 दिनांक 30 सितम्बर, 1968 के द्वारा बिहार के माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा इस